न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 18/2019

दायर दिनांक: 03.06.2019

निर्णय दिनांक 09.01.2020

–:अनवान:–

1 निशा पिता भैरूलाल कीर आयु 13 वर्ष नाबालिग जरिये सरंक्षक (पिता भैरूलाल व माता पुष्पा) जरिये माता पुष्पादेवी पत्नी भैरूलाल कीर आयु 32 वर्ष पैशा नौकरी निवासी किरों का ओडा पसुन्द हॉल निवासी भाटोली तहसील व जिला राजसमन्द

2. श्री भैरूलाल पिता स्वर्गीय मगना कीर आयु 32 वर्ष पेशा काश्त निवासी किरो का ओडा पसुन्द तहसील व जिला राजसमन्द

———अपीलांट

–:बनाम:–

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 155 निर्णय दिनांक 18.06.2018 न्यायालय आदेश से खुले नामान्तरकरण को निरस्त कराने के संबंध में।

उपस्थित:–

1– श्री ललित नारायण शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

2– श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–::निर्णय::–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा राजस्व ग्राम किरणपुर पटवाल हल्का पसुन्द, तहसील राजसमन्द के आराजी नं0 470/2, 488 व 511/2 कुल किता–03 कुल रकबा 02.17 बीघा भूमि के संबंध में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 155 दिनांक 18.06.2018 को चूनौति दी गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि राजस्व ग्राम किरणपुर पटवार हल्का पसुन्द, तहसील राजसमन्द में आराजी नं0 470/2, 488 व 511/2 कुल किता–03 कुल रकबा 02.17 बीघा भूमि स्थित है। उक्तभूमि भैरूलाल पिता मगना कीर साकिन देह के बजाय निशा पिता भैरूलाल बविलायत (पिता भैरूलाल एवं माता पुष्पा) 1/4 भैरूलाल पिता मगना, 3/4 साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। रहन बदस्तुर रहेगा इस पालना नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए केवल भैरूलाल पिता मगना कीर के नाम पर ही रखे जाने का आदेश प्रदान करावें। अन्य कोई अनुतोष व न्याय युक्त बिन्दु जो प्रार्थी संख्या 02 के हित में हो वह भी प्रार्थी संख्या 02 को प्रदान कराया जावे। प्रार्थी संख्या 01 का स्वयं का जरिये अवयस्क सहित नाम वर्तमान मे हटाने अनुरोध किया है। अतः अपील स्वीकार फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2016 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें विधिक रूप से कोई त्रुटी नहीं पायी जाती है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 09.01.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द